

प्रधानमंत्री की मेंटरशिप योजना

युवा 2.0

प्रतियोगिता की
अंतिम तिथि अब
15 जनवरी 2023
है।



" लोकतांत्रिक भावना, हमारी
सभ्यता लोकाचार का अभिन्न
अंग है "

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

“

लोकतांत्रिक भावना, हमारी सभ्यता
लोकाचार का अभिन्न अंग है..

लोकतंत्र केवल जनता का ही नहीं,
जनता के द्वारा, जनता के लिए, बल्कि
जनता के साथ, जनता में समाहित भी
होता है। ”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री की मेंटरशिप योजना

युवा - YUVA - (युवा, उदीयमान और प्रतिभाशाली लेखक)

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में युवामानस के सशक्तीकरण और एक सीखने वाला इको-सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है जो युवा पाठकों/शिक्षार्थियों को भविष्य की दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार कर सके। भारत को एक 'युवा देश' माना जाता है क्योंकि इसकी कुल आबादी का 66% युवा है जिसे क्षमता एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस संदर्भ में युवा लेखकों की पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने की यह राष्ट्रीय योजना रचनात्मक दुनिया में भविष्य के नेताओं की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। पहली मेंटरशिप योजना 31 मई 2021 को शुरू की गई थी। इसकी थीम थी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें अज्ञात नायकों, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कम ज्ञात तथ्यों; राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न स्थानों की भूमिका जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विज्ञान संबंधी पहलुओं से संबंधित नए दृष्टिकोणों को सामने लाया गया।

इस योजना की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि इक्कीसवीं सदी के भारत को, युवा लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की आवश्यकता है, जिसे भारतीय साहित्य और विश्वदृष्टि के राजदूत बनाया जा सके। इस तथ्य के आलोक में कि हमारा देश पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है और हमारे पास स्वदेशी साहित्य का बहुमूल्य खजाना है, भारत को इसे वैश्विक मंच पर अवश्य रेखांकित करना चाहिए।

परिचय

पीएम-युवा 2.0

22 विभिन्न भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी में युवा और नवोदित लेखकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ पीएम-युवा योजनाके पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए अब युवा 2.0 का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को हो रहा है।

थीम



पीएम-युवा 2.0 की थीम है लोकतंत्र (संस्थाएँ, घटनाएँ, व्यक्तित्व, संवैधानिक मूल्य)



इस योजना से लेखकों का एक ऐसा वर्ग विकसित करने में मदद मिलेगी जो भारत में लोकतंत्र तथा उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर लिख सकेगा। इसके अतिरिक्त, यह योजना महत्वाकांक्षी युवाओं को स्वयं को व्यक्त करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान करेगी।



थीम विशेष रूप से केवल भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र विषय पर आधारित है ताकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

संकल्पना

लोकतंत्र जिसका शाब्दिक अर्थ है "लोगों" द्वारा शासन नागरिकों को अपनी सरकार के रूप और कार्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह अभिशासन का एक ऐसा रूप है जो न केवल चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति देता है अपितु उसे आवश्यक भी बनाता है। लोकतंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों में स्वतंत्रता के सिद्धांत, सामाजिकता के संदर्भ में अपने नागरिकों का सशक्तिकरण, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया सम्मिलित हैं। डॉ बी आर अंबेडकर के अनुसार "लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, परंतु सामाजिक संगठन का एक रूप है।"

भारत का लोकतंत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि यह देश और इसकी संस्कृति। भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपितु सर्वाधिक प्राचीन लोकतंत्र भी है जो इसे लोकतंत्रों की जननी बनाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में विभिन्न समाजों की लोकतांत्रिक प्रकृति का संदर्भ देते हुए अनेक उदाहरण हैं। लिच्छवी और शाक्य जैसे निर्वाचित गणतंत्रीय नगर-राज्य 2500 वर्ष पूर्व भारत में फले-फूले। लिच्छवियों ने उन पर शासन करने के लिए एक प्रशासक एवं प्रतिनिधियों को चुना।

प्राचीन भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत भी वेदों में निहित थे। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में, सभा और समिति का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार कोई भी निर्णय सम्राट, मंत्रियों और विद्वानों के साथ चर्चा के पश्चात लिया जाता था। पाली में बौद्ध साहित्य और संस्कृत में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गणतंत्रीय सरकार लगभग सार्वभौमिक थी। मौर्यों के शासनकाल के दौरान कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों और चोलों और पांड्यों के राज्यों के उत्तरमुर मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों में लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। इन पत्थरों पर उत्कीर्ण शिलालेखों में उस समय के दौरान पद के लिए किसी जन प्रतिनिधि की अयोग्यता का वर्णन किया गया है। यदि कोई जन प्रतिनिधि अपनी संपत्ति का खुलासा करने में विफल रहता था, तो वह या उसका तत्काल परिवार पद प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता था। इस प्रकार के ऐतिहासिक उदाहरण इस बात पर बल देते हैं कि लोकतंत्र भारत के सभ्यतागत लोकाचार का एक अभिन्न अंग है।



लोकतंत्र

महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में कहा था, "लोकतंत्र का मूल रूप से अर्थ होना चाहिए... लोगों के सभी विभिन्न वर्गों के संपूर्ण भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को सभी की सामान्य भलाई की सेवा में जुटाने की कला और विज्ञान।" (हरिजन, 27.5.1939, पृष्ठ 143)। यह कथन इस बात का साक्ष्य है कि औपनिवेशिक शासन भी भारत के लोगों की लोकतांत्रिक भावना का गला नहीं घोट सका। यह भारत की स्वतंत्रता और 26 जनवरी, 1950 को इसके संविधान को अंगीकार किए जाने के साथ पूर्णतः व्यक्त हो गया था। इसने स्वतंत्रता के गत 75 वर्षों में भारत को एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में निर्मित करने के लिए मार्गदर्शक भावना के रूप में कार्य किया है।



संविधान

भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है : "हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।" यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है और देश के बाहर के किसी भी संगठन या व्यक्ति का सरकार के कामकाज में कोई औपचारिक या अनौपचारिक हस्तक्षेप नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, विधि के समक्ष समानता और भारतीय संविधान में एक त्रय के रूप में बंधुत्व के साथ संबद्ध किया गया है। यहां सभी जातियों, पंथों, धर्मों, लिंगों और क्षेत्रों के लोगों को मत देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का समान अधिकार है।




अनेकता में एकता

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के कारण एक संपन्न लोकतंत्र है और हम एकता के माध्यम से नहीं अपितु विविधता के माध्यम से एकता का उत्सव मनाते हैं।

लोकतंत्र विषय पर पुस्तक प्रस्तावों के लिए सुझाए गए उप विषय (संस्थाएँ, घटनाएँ, व्यक्तित्व, संवैधानिक मूल्य):

भारत में लोकतंत्र का इतिहास
लोकतंत्र और संवैधानिक संशोधन
लोकतंत्र और संविधान सभा वाद-विवाद
भारत में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया
संघवाद और लोकतंत्र
केंद्र-राज्य संबंध
लोकतंत्र और सामाजिक न्याय
युवाओं/महिलाओं/सीमांत समुदायों का लोकतंत्र और सशक्तिकरण
शिक्षा और लोकतंत्र
लोकतंत्र और संस्कृति
लोकतंत्र और राष्ट्रवाद
लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

उपरोक्त उप-विषय केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और प्रतियोगी इस योजना दस्तावेज़ में दिए गए ढांचे के अनुसार अपने विषयों को तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।




प्रस्ताव

युवा लेखकों की मेंटरशिप का यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के ग्लोबल सिटीजन के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष की आयु तक के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू करने की आवश्यकता है ताकि भारत और भारतीय लेखन विश्व स्तर पर प्रक्षिप्त हो सके।

भारत में लोकतंत्र के विकास की अवधारणा और इसके प्रक्षेप वक्र को व्यापक रूप से समझने के लिए संविधान, महिला, युवा, धर्म, इतिहास, मानवाधिकार, शिक्षा, राष्ट्रवाद, संस्कृति आदि जैसे विभिन्न उपशीर्षकों के तहत इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो कि पीएम-युवा 2.0 मेंटरशिप योजना का प्राथमिक उद्देश्य होगा।



पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दें



नवोदित लेखक



भारतीय लेखकों के लिए वैश्विक दृष्टि



अवधारणाओं को समझना

कार्यान्वयन और निष्पादन

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (बीपी डिवीजन के तहत, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) मेंटरशिप के सुपरिभाषित चरणों के तहत योजना के चरण-वार निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।

युवा लेखकों की चयन प्रक्रिया

अखिल भारतीय प्रतियोगिता के द्वारा कुल 75 लेखकों का <https://www.nbtindia.gov.in/> के माध्यम चयन किया जाएगा।

न्यास द्वारा गठित समिति प्रतियोगियों का चयन करेगी।

योजना 2 अक्टूबर 2022 को शुरू की जाएगी।

प्रतियोगिता की अवधि 2 अक्टूबर से 15 जनवरी 2023 तक होगी।

प्रतियोगियों को 10,000 शब्दों में पुस्तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

निम्नलिखित के अनुसार विभाजन:

1	पुस्तक की रूपरेखा	2000-3000 शब्दों में
2	अध्याय योजना	हाँ
3	दो-तीन नमूना अध्याय	7000-8000 शब्दों में
4	ग्रंथ सूची और संदर्भ	हाँ

प्रस्तावों की मूल्यांकन अवधि 16 जनवरी 2023 - 31 मार्च 2023 तक होगी।

राष्ट्रीय जूरी की बैठक अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में होगी।

चयनित लेखकों के नामों की घोषणा मई 2023 में की जाएगी।

मेंटरशिप की अवधि 1 जून 2023 - 30 नवंबर 2023 तक होगी।

75

लेखकों का चयन
किया जाएगा

10000

शब्द पुस्तक प्रस्ताव

2 अक्टूबर 2022
शुभारंभ की तिथि

2 अक्टूबर 2022 -
15 जनवरी 2023
प्रतियोगिता अवधि

मई 2023
चयनित लेखक

जून 2023 -
नवंबर 2023
मेंटरशिप की अवधि

फरवरी 2024
पुस्तक का प्रकाशन

दिशा-निर्देश

आवेदक जिन्होंने पीएम-युवा योजना 2021-22 के लिए अर्हता प्राप्त की थी (केवल अंतिम परिणाम) वे PM-YUVA 2.0 योजना 2022-23 के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रतियोगियों का कोई व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षणिक दायित्व नहीं होना चाहिए जो कि पीएम-युवा 2.0 के दौरान मेंटरशिप शेड्यूल में हस्तक्षेप करता हो।




अधिकतम
आयु



जमा करने का
समय



विषय संपादित
करें



एक प्रविष्टि

प्रतियोगी की अधिकतम आयुसीमा 2 अक्टूबर 2022 तक 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।

पाण्डुलिपि की प्रस्तुतियाँ MyGov के माध्यम से 15 जनवरी 2023 को रात 11:59 बजे तक ही स्वीकार की जाएंगी।

पीएम-युवा 2.0 योजना के प्रवेश की शैली केवल कथातर होनी चाहिए।

पुस्तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उसके शीर्षक में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रति व्यक्ति केवल एक प्रविष्टि होनी चाहिए।

मेंटरशिप की समयावधि

6 महीने


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत लेखकों के साथ चयनित उम्मीदवारों हेतु दो सप्ताह के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

इस दौरान युवा लेखकों को न्यास के निपुण लेखकों और कथाकारों के पैनल से दो प्रख्यात लेखक/मेंटर द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

इसके अलावा, न्यास के सलाहकार पैनल के तहत प्रख्यात लेखक / सलाहकार और अन्य प्रतिष्ठित विभिन्न भाषाओं के अन्य प्रतिष्ठित लेखक उन्हें सलाह देंगे और साहित्यिक कौशल अभ्यास कैसे करें आदि का मार्गदर्शन करेंगे।

प्रकाशन की प्रक्रिया - कैसे एक विषय वस्तु का सृजन किया जाता है, लेखकों का मार्गदर्शन किया जाता है, संपादकीय प्रक्रियाएं होती हैं, साहित्यिक एजेंट रचनात्मक प्रतिभा को पहचानते हैं, यह कार्यक्रम का एक अभिन्न पहलू होगा।

लेखकों को साहित्यिक उत्सवों, पुस्तक मेलों, वर्चुअल पुस्तक मेलों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी समझ का विस्तार करने और अपने कौशल को सुधारने का मौका मिलेगा।



छात्रवृत्ति का वितरण



मेंटरशिप योजना के तहत, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के अंत में, समेकित छात्रवृत्ति रुपये 50,000 प्रति माह, छह महीने की अवधि के लिए ($50,000 \times 6 = \text{रु } 3$ लाख) प्रत्येक लेखक को भुगतान किया जाएगा।



मेंटरशिप प्रोग्राम के अंत में लेखकों को उनकी पुस्तकों के सफल प्रकाशन पर 10% की रॉयल्टी देय होगी।




इस योजना के तहत प्रकाशित पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है, जिससे भारत के विभिन्न राज्यों के बीच संस्कृति और साहित्य का आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके और इस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिले।



उन्हें अपनी पुस्तकों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने और लिखने की संस्कृति का प्रचार करने के लिए एक मंच भी दिया जाएगा।

योजना का परिणाम




वैश्विक भारतीय
लेखक

यह योजना भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में लेखकों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण करेगी जो स्वयं को व्यक्त करने और भारत को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार होंगे साथ ही, यह योजना भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर पेश करने में मदद करेगी।



पढ़ने की आदत

यह अन्य नौकरी विकल्पों के साथ पढ़ने तथा लेखकत्व को एक पसंदीदा पेशे के रूप में लाना सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत के युवा, पठन एवं ज्ञान को अपने व्यक्तित्व निर्माण के वर्षों में एक अभिन्न अंग के रूप में देखेंगे। इसके अतिरिक्त, यह युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर हाल ही में आई महामारी के प्रभाव को देखते हुए युवा-मस्तिष्क में सकारात्मकता लाएगा।



विश्व गुरु के
रूप में भारत

भारत विश्व में पुस्तकों का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक है और यह योजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए लेखकों की नई पीढ़ी लाकर भारतीय प्रकाशन उद्योग को और अधिक बढ़ावा देगी।

इस प्रकार से यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वैश्विक नागरिक और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' दृष्टिकोण के अनुरूप होगा तथा भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा।

FAQs

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



1 पीएम-युवा 2.0 की 'थीम' क्या है?

योजना की मुख्य थीम लोकतंत्र (संस्थाएँ, घटनाएँ, व्यक्तित्व, संवैधानिक मूल्य - अतीत, वर्तमान, भविष्य) है। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट का संदर्भ ले सकते हैं।



2 प्रतियोगिता की अवधि क्या है?

प्रतियोगिता की अवधि 2 अक्टूबर से 15 जनवरी 2023 है।



3 प्रविष्टियाँ कब तक स्वीकार की जाएँगी?

प्रविष्टियाँ **15 जनवरी 2023** को रात्रि **11:59** बजे तक स्वीकार की जाएँगी।



4 प्रविष्टियों को स्वीकार करने में निर्णायक कारक क्या होगा : हार्डकॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने की तिथि ?

निर्धारित तिथि तक टाइप किए गए प्रारूप में प्राप्त होने वाली सॉफ्टकॉपी एकमात्र निर्णायक कारक होगी।



- 5 क्या मैं किसी भी भारतीय भाषा में लिख सकता/सकती हूँ?**
हाँ, आप भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से किसी भी भाषा में और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं :
- (1) असमिया, (2) बांग्ला, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) ओड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू, (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली तथा (22) डोगरी।



- 6 30 वर्ष की अधिकतम आयु कैसे तय की जाएगी ?**

आपकी आयु 2 अक्टूबर 2022 को ठीक 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए ।



- 7 क्या विदेशी नागरिक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं?**

केवल भारतीय नागरिक , जिनमें पीआईओ धारक या भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआई शामिल हैं, प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



8 मैं एक भारतीय पासपोर्टधारी पीआईओ/एनआरआई हूँ क्या मुझे दस्तावेज संलग्न करने हैं?

हां, कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ अपने पासपोर्ट/पीआईओ कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।



9 मुझे अपनी प्रविष्टि कहां भेजनी होगी ?

प्रविष्टि केवल MyGov.in के माध्यम से भेजी जा सकती है।



10 क्या मैं एक से अधिक प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कर सकता हूँ?

प्रति प्रतियोगी केवल एक प्रविष्टि की अनुमति है।



11 एंट्री की संरचना क्या होनी चाहिए?

इसमें निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार अधिकतम 10,000 शब्द सीमा के साथ अध्याय योजना, सारांश और दो-तीन नमूना अध्याय होने चाहिए

1	सारांश	2000-3000 शब्द
2	अध्याय योजना	हाँ
3	दो-तीन नमूना अध्याय	7000-8000 शब्द
4	ग्रंथ-सूची तथा संदर्भ	हाँ

FAQs

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



- 12 क्या मैं 10,000 से अधिक शब्दों में प्रविष्टि जमा कर सकता हूँ?
10,000 शब्दों की अधिकतम शब्द सीमा का पालन किया जाना चाहिए।



- 13 मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रविष्टि पंजीकृत हो गई है?
आपको एक स्वचालित पावती ईमेल प्राप्त होगा।



- 14 मैं अपनी प्रविष्टि भारतीय भाषा में प्रस्तुत करूँगा/करूँगी , क्या मुझे अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करना चाहिए?
नहीं। कृपया अपनी प्रविष्टि का सार अंग्रेजी या हिंदी में 200 शब्दों में संलग्न करें।



- 15 क्या प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु है?
कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



16 क्या मैं हस्तलिखित पांडुलिपि भेज सकता/सकती हूँ ?

नहीं। निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार यह स्पष्ट रूप से टाइप होनी चाहिए।



17 प्रविष्टि की विधा क्या है?

केवल कथेतर साहित्य।



18 क्या कविता और कथा साहित्य को स्वीकार किया जाएगा?

नहीं, कविता और कथा साहित्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा।



19 यदि पांडुलिपि में बाहरी स्रोत से उद्धृत जानकारी है, तो इसका उल्लेख कैसे और कहाँ किया जाना चाहिए/मैं संदर्भ के स्रोत को कैसे उद्धृत करूँ?

यदि कथेतर पांडुलिपि में बाहरी स्रोत से जानकारी शामिल की गई है, तो स्रोत को फुटनोट्स/एंडनोट्स के रूप में या यदि आवश्यक हो तो समेकित 'उद्धृत कार्य' अनुभाग में उल्लेख किया जाना चाहिए।

FAQs

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



20 क्या मैं अपनी भारतीय भाषा की प्रविष्टि यूनिकोड में प्रस्तुत कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, इसे यूनिकोड में भेजा जा सकता है।



21 प्रविष्टि जमा करने का प्रारूप क्या होना चाहिए?

क्रमांक	भाषा	फ़ॉन्ट	फ़ॉन्ट आकार
1	अंग्रेज़ी	टाइम्स न्यू रोमन	14
2	हिंदी	यूनिकोड/कृति देव	14
3	अन्य भाषा	समतुल्य फ़ॉन्ट	समतुल्य आकार



22 क्या प्रविष्टि को एक साथ अनेक स्थानों पर प्रस्तुतीकरण की अनुमति है/क्या मैं किसी अन्य - प्रतियोगिता/जर्नल/पत्रिका आदि में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव भेज सकता/सकती हूँ।

नहीं, एक साथ अनेक स्थानों पर प्रस्तुतीकरण की अनुमति नहीं है।




23 जमा की जा चुकी प्रविष्टि/पांडुलिपि को संपादित/परिवर्तित करने की क्या प्रक्रिया है?

एक बार जमा की जा चुकी प्रविष्टि/पांडुलिपि को संपादित या वापस नहीं लिया जा सकता है।

FAQs

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



24 क्या प्रस्तुतियों में पाठ का समर्थन करने के लिए तस्वीर/चित्र भी हो सकते हैं?

यदि आपके पास इसका कॉपीराइट है तो पाठ में तस्वीरों या चित्रों के साथ समर्थित किया जा सकता है।



25 यदि मैं युवा 1.0 का हिस्सा रहा हूं तो क्या मैं इसमें भाग ले सकता हूं?

हां, लेकिन तभी यदि आप पीएम-युवा 1.0 के 75 चयनित लेखकों की अंतिम सूची में नहीं हैं।




26 क्या अंतिम 75 में मेरिट का कोई क्रम होगा?

सभी 75 विजेता बिना किसी मेरिट क्रम के बराबर होंगे।



अधिक जानकारी के लिए लिखें:
nbtYuva2@gmail.com



अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र हेतु
www.nbtindia.gov.in
www.mygov.in

महत्वपूर्ण संपर्क संख्या :


- 1 श्री युवराज मलिक, निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत - 011-26121830
2. श्री कुमार विक्रम, संपादक एवं परियोजना प्रमुख, पीएम-युवा मेंटरशिप योजना - 9871145755, 011-26707759
3. पीएम-युवा हेल्पलाइन नंबर - 8800409359, 8800409846

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास,
भारत से जुड़ें



nbtindia.gov.in

विवरण एवं प्रविष्टियाँ
जमा करने हेतु



MyGov.in